vinetur

ब्रिटेन ने 2029 तक बड़े आयोजनों के लिए शराब बिक्री के लाइसेंस समय बढ़ाने पर परामर्श शुरू किया

गृह मंत्रालय 17 दिसंबर तक राष्ट्रीय महत्व के खेल और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कारोबार के घंटे बढ़ाने की योजना पर सुझाव मांग रहा है

शुक्रवार, 20 नवंबर 2026



ब्रिटिश सरकार ने इस बात पर परामर्श शुरू किया है कि बड़े राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान शराब बिक्री के लाइसेंस समय बढ़ाने की अनुमति देने वाली शक्तियों को जारी रखा जाए और उनमें बदलाव किया जाए या नहीं। इस कदम का 2029 तक पब, बार और रेस्तरां पर असर पड़ सकता है।

गृह मंत्रालय ने गुरुवार, 19 नवंबर को कहा कि वह संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग के साथ मिलकर उन प्रस्तावों पर सुझाव मांग रहा है, जिनके तहत राष्ट्रीय प्राधिकरणों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक या खेल महत्व के आयोजनों के दौरान शराब बिक्री के लाइसेंस समय में ढील देने की अनुमति जारी रहेगी। जवाब 17 दिसंबर तक दिए जा सकते हैं।

यह परामर्श उन आयोजनों पर केंद्रित है जिनमें बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और जिनके चलते अक्सर सामान्य बंद होने के

समय के बाद भी जश्न जारी रहता है। सरकार ने कहा कि वह सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा और जिम्मेदारी से शराब पीने को बढ़ावा देते हुए बड़े आयोजनों और रात्रिकालीन अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देना चाहती है।

परामर्श दस्तावेज़ के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था में इंग्लैंड और वेल्स में शराब की बिक्री आम तौर पर राष्ट्रीय लाइसेंसिंग समय-सीमा से नियंत्रित होती है और शराब की खुदरा बिक्री पर सामान्यतः रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक रोक रहती है। स्थानीय लाइसेंसिंग संबंधी फैसलों और अस्थायी आयोजन नोटिसों के जरिए अपवाद संभव हैं, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि बड़े राष्ट्रीय आयोजनों के लिए समय अपने आप बढ़ाने का कोई स्थायी राष्ट्रीय प्रावधान नहीं है।

सरकार अब ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रही है जिसके तहत गृह मंत्री किसी आयोजन को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकेंगे। आयोजन के इस तरह घोषित होने के बाद, लाइसेंसिंग प्राधिकरण उसमें शामिल या उसके नज़दीक स्थित परिसरों को अधिक समय तक खुले रहने की अनुमति दे सकेंगे। परामर्श में कहा गया है कि वस्तुनिष्ठ मानदंडों और सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि समय बढ़ाना “उचित और जिम्मेदाराना” हो। आवेदकों से अपेक्षा होगी कि वे बताएं कि वे सार्वजनिक सुरक्षा के जोखिमों और संभावित सार्वजनिक असुविधा का प्रबंधन कैसे करेंगे।

गृह मंत्रालय ने कहा कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में बड़े आयोजनों के लिए लाइसेंसिंग समय में ढील देने की व्यापक शक्ति सीमित अवधि के लिए लागू रही है और 2026 में समाप्त होने वाली है। नए परामर्श में पूछा गया है कि क्या इस शक्ति को 2029 तक बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि इस उपाय का मकसद भविष्य के बड़े आयोजनों और उत्सवों को समर्थन देना है।

अधिकारियों ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों की मेजबानी करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में अधिक एकरूपता लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े सार्वजनिक समारोहों के सामान्य कारोबार समय के बाद तक चलने पर कारोबारों को ग्राहकों की सेवा जारी रखने की अनुमति देकर इससे आतिथ्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों को मदद मिल सकती है।

इसी वजह से पेय कारोबार इस प्रस्ताव पर करीबी नज़र रखे हुए है। पब, बार, रेस्तरां और बीयर, वाइन तथा स्पिरिट्स बेचने वाले अन्य लाइसेंसशुदा परिसरों के लिए, बड़े आयोजनों के दौरान अधिक समय तक खुले रहने से कारोबार की स्थितियां अधिक अनुमानित हो सकती हैं और अतिरिक्त बिक्री की संभावना बन सकती है। यह खास तौर पर तब उपयोगी होगा जब कारोबार असामान्य रूप से अधिक मांग के लिए कर्मचारियों, स्टॉक और सुरक्षा की योजना बना रहे हों। हालांकि, किसी भी लाभ का दारोमदार इस बात पर होगा कि इस शक्ति का कितनी बार इस्तेमाल किया जाता है और स्थानीय प्राधिकरण मंजूरियों पर कौन-सी शर्तें लगाते हैं।

परामर्श में नीति के सार्वजनिक स्वास्थ्य, समुदायों पर असर और पुलिस व्यवस्था पर संभावित प्रभावों से जुड़े साक्ष्य भी मांगे गए हैं। अधिकारी राष्ट्रीय लाइसेंसिंग समय में ढील देने के सिद्धांत, पात्र आयोजनों के चयन के मानदंडों, लाइसेंसिंग प्राधिकरणों की निर्णय प्रक्रिया और नुकसान सीमित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों पर सुझाव मांग रहे हैं।

सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय महत्व के कुछ समारोह अब मौजूदा लाइसेंसिंग व्यवस्था के दायरे से आगे निकल गए हैं। परामर्श दस्तावेज़ में अधिकारियों ने कहा कि बड़े स्मृति समारोह, प्रमुख खेल आयोजन और राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम कारोबार को देर तक जारी रखने की मांग पैदा कर सकते हैं, लेकिन कानून हमेशा प्राधिकरणों को इस मांग का जवाब देने का स्पष्ट और एकसमान रास्ता नहीं देता।

परामर्श दस्तावेज़ में राष्ट्रीय स्मृति समारोहों, महत्वपूर्ण खेल आयोजनों तथा सांस्कृतिक और मनोरंजन उत्सवों जैसी आयोजन श्रेणियों का उल्लेख है। इसमें व्यापक रूप से “राष्ट्रीय महत्व के बड़े आयोजन, समारोह और स्मृति आयोजन” भी शामिल हैं। सरकार ने कहा कि किसी भी बदलाव का उद्देश्य निगरानी कमजोर किए बिना आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाना होगा।

यदि प्रस्ताव आगे बढ़ते हैं, तो व्यवहार में समय बढ़ाने की अनुमति देने या न देने का फैसला स्थानीय प्राधिकरण ही करेंगे। परामर्श में कहा गया है कि फैसलों में आयोजन की विशिष्टताओं और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। इनमें निवासियों पर संभावित असर और भीड़ तथा सुरक्षा प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधन शामिल हैं। सरकार ने कहा कि अधिक एकसमान तरीका अपनाने में मदद के लिए वह मार्गदर्शन और निगरानी उपलब्ध कराएगी।

यह समीक्षा ऐसे समय हो रही है जब अधिकारी आतिथ्य कारोबारों को समर्थन देने और अव्यवस्था, शोर तथा शराब से जुड़े नुकसान की चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े आयोजनों के दौरान शराब पीने का समय बढ़ाना ग्राहकों और कारोबारियों को पसंद आ सकता है, लेकिन नियंत्रण कमजोर होने पर इससे परिवहन, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं पर दबाव भी बढ़ सकता है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी भी विधायी या नीतिगत फैसले से पहले सभी जवाबों की समीक्षा की जाएगी। अभी किसी अंतिम बदलाव की घोषणा नहीं हुई है और परामर्श इस बात की गारंटी नहीं देता कि इस शक्ति को बढ़ाया जाएगा या इसका दायरा विस्तृत होगा। फिलहाल सरकार कारोबारों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वास्थ्य समूहों, पुलिस और आम लोगों से 17 दिसंबर से पहले साक्ष्य देने को कह रही है कि क्या बड़े आयोजनों के लिए राष्ट्रीय लाइसेंसिंग समय में अधिक आसानी से ढील दी जानी चाहिए और, यदि हां, तो किन सीमाओं के तहत।